



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-54/2022-350 दिनांक : 18/05/23

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ गोड्डा वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ खूँटी वन प्रमण्डल/ सिमडेगा वन प्रमण्डल/ लोहरदगा वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्साँस तथा वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल **रु0 754.481 लाख (सात करोड़ चौवन लाख अड़तालीस हजार एक सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-28/स्वी0 व0प0 दिनांक 09.02.2023 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-35/2022-02/TSP व0प0 दिनांक 28.04.2023।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 754.481 लाख (सात करोड़ चौवन लाख अड़तालीस हजार एक सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179658010103	706.398
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179658010323	48.083
कुल :-		754.481

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060179658010103 एवं 19S24060179658010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।
5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे,
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।
9. योजना के लिए निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को प्रत्येक तीन माह पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवगत करायेंगे।
10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
11. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।
12. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।
13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।
14. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।
15. विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाए। यह राशि कोषागार में जमा की जाए। कंउम सामग्री का निष्पादन विविधत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए। स्टॉक पंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।
16. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था की जायेगी :-
 - (i) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
 - (ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।
 - (iii) विभागीय स्थापित Monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार Monitor भारत सरकार के पैट्रन पर योजना Monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

17. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
- (iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।
- (v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।
- (vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैटर्न पर तैयार करायें।
- (vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।
- (ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
18. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (i) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।
- (ii) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।
19. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।
20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के



माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

22. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

23. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनांतर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्यवाई की जायेगी।

24. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेगे।

25. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-54/2022-350 दिनांक-18/05/23

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ संधाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/ पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय-वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-54/2022-358 दिनांक- 18/05/23
प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/
सिमडेगा/ खूँटी/ गुमला/ लोहरदगा/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ सरायकेला-खरसावाँ/
लातेहार/ दुमका/ साहेबगंज/ गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधाम मुख्य वन संरक्षक, विकास,
8 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे०) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			38303.31	2515.00	40818.31
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सा०वा० प्रमण्डल, राँची	25	9.576	0.629	10.205
2	सा०वा० प्रमण्डल, आदित्यपुर	50	19.152	1.257	20.409
3	सा०वा० प्रमण्डल, चाईबासा	70	26.812	1.761	28.573
4	सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	100	38.303	2.515	40.818
5	सा०वा० प्रमण्डल, लातेहार	50	19.152	1.257	20.409
6	साहेबगंज वन प्रमण्डल	100	38.303	2.515	40.818
7	दुमका वन प्रमण्डल	100	38.303	2.515	40.818
8	गोड्डा वन प्रमण्डल	25	9.576	0.629	10.205
9	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	100	38.303	2.515	40.818
10	सरायकेला वन प्रमण्डल	100	38.303	2.515	40.818
11	राँची वन प्रमण्डल	35	13.406	0.880	14.286
12	खूँटी वन प्रमण्डल	50	19.152	1.257	20.409
13	गुमला वन प्रमण्डल	30	11.491	0.755	12.246
योग :-		835	319.832	21.000	340.832
सकल योग :-		2405	706.398	48.083	754.481

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे०) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे० में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			24622.07	1725.00	26347.07
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सा०वा० प्रमण्डल, राँची	30	7.387	0.518	7.904
2	सा०वा० प्रमण्डल, सिमडेगा	115	28.315	1.984	30.299
3	सा०वा० प्रमण्डल, आदित्यपुर	100	24.622	1.725	26.347
4	सा०वा० प्रमण्डल, चाईबासा	100	24.622	1.725	26.347
5	सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	150	36.933	2.588	39.521
6	सा०वा० प्रमण्डल, लातेहार	100	24.622	1.725	26.347
7	साहेबगंज वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
8	दुमका वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
9	राँची वन प्रमण्डल	175	43.089	3.019	46.108
10	गुमला वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
11	खूँटी वन प्रमण्डल	50	12.311	0.862	13.173
12	सिमडेगा वन प्रमण्डल	50	12.311	0.862	13.173
13	लोहरदगा वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
14	सरायकेला वन प्रमण्डल	100	24.622	1.725	26.347
15	जमशेदपुर वन प्रमण्डल	200	49.244	3.450	52.694
योग :-		1570	386.566	27.083	413.649

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० X 2 मी०)

मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	21.50	7439.22	0.00	7439.22	
2	वृक्षारोपण	हे०	36.50	12629.37	0.00	12629.37	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	41.50	14359.42	0.00	14359.42	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे०	2.00	692.02	0.00	692.02	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे० तक)	स्थल	9.20	3183.29	0.00	3183.29	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग-		110.70	38303.31	2515.00	40818.31	

नोट (1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 346.01 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	13	4498.13	0.00	4498.13	
2	वृक्षारोपण	हे०	22	7612.22		7612.22	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	25	8650.25	0.00	8650.25	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	692.02	0.00	692.02	
5	पौधों की सुरक्षा		9.16	3169.45		3169.45	30 हे० तक 1 मानव दिवस एवं 30 हे० से अधिक के लिए 2 मानव दिवस
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, फिटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			71.16	24622.07	1725.00	26347.07	

नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागू दैनिक मजदूरी दर पर सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यों पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ट प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाएंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरूपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।

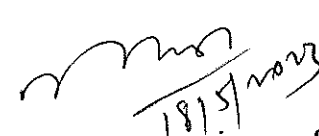
(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से संबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासायनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चाहू वित्तीय वर्ष 2023-24 में वयय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-54/2022/350

दिनांक - 18-May-2023

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27189	DRNFWL004 SRIKANT VERMA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	1,696,300.00 रुपये सोलह लाख छयानवे हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27190	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	2,831,500.00 रुपये अठाइस लाख इकतीस हजार पंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27191	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	4,377,400.00 रुपये तीरयालीस लाख सित्योत्तर हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये नवासी लाख पंच हजार दो सौ

क्रमिक योग:

8,905,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

CCCE DEK JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27194	SGHFOR001 ALOK KUMAR VERMA I/C D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 03 - मजदूरी	5,143,400.00 रुपये इकायन लाख तीरयालीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27197	DMKFOR003 SATWIK D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदूरी	7,523,600.00 रुपये पचहत्तर लाख तेइस हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27200	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF 03 - मजदूरी	4,377,400.00 रुपये तीरयालीस लाख सित्योत्तर हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड उनसठ लाख उनचास हजार छः सौ

17,044,400.00

क्रमिक योग:

25,949,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

RANCH PCCF DEV JHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27203	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदूरी	6,292,500.00 रुपये बासठ लाख बयानवे हजार पंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27205	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	6,292,500.00 रुपये बासठ लाख बयानवे हजार पंच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27208	GDDFOR164 MAUN PRAKASH DFO GODDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	957,600.00 रुपये नौ लाख सत्तावन हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये तीन करोड चौरानवे लाख बयानवे हजार दो सौ

13,542,600.00

क्रमिक योग:

39,492,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27210	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO, RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	5,649,500.00 रुपये छप्पन लाख उनचास हजार पाँच सौ
	Slate Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27213	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	3,611,300.00 रुपये छत्तीस लाख ग्यारह हजार तीन सौ
	Slate Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27215	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	3,146,300.00 रुपये इकतीस लाख छयालीस हजार तीन सौ
	Slate Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये पाँच करोड अठारह लाख निम्नानवे हजार तीन सौ

12,407,100.00

क्रमिक योग:

51,899,300.00

(NAND KISHORE SINGH)

SOPD, PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27218	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 03 - मजदूरी	1,231,100.00 रुपये बारह लाख इकतीस हजार एक सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27221	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	2,462,200.00 रुपये चौइस लाख बासठ हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27224	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN 03 - मजदूरी	6,292,500.00 रुपये बासठ लाख बयानवे हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये छः करोड अठारह लाख पिय्यासी हजार एक सौ

9,985,800.00

क्रमिक योग:

61,885,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

BCCI DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	27226	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	8,754,700.00 रुपये सित्वासी लाख चौपन हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27237	DRNFWL004 SRIKANT VERMA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	114,700.00 रुपये एक लाख चौदह हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27238	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	198,400.00 रुपये एक लाख अठानवे हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सात करोड नौ लाख बावन हजार नौ सौ

9,067,800.00

क्रमिक योग:

70,952,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

JODI, PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	27240	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	298,200.00 रुपये दो लाख अठानवे हजार दो सौ
20	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	27241	SGHFOR001 ALOK KUMAR VERMA I/C D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	348,600.00 रुपये तीन लाख अड़तालीस हजार सः सौ
21	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	27243	DMKFOR003 SATWIK D.F.O.S.F.DIVDUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	510,300.00 रुपये पाँच लाख दस हजार तीन सौ

योग:

रुपये सात करोड इक्कीस लाख दस हजार

1,157,100.00

क्रमिक योग:

72,110,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL RCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27246	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF	298,200.00 रुपये दो लाख अठानवे हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27249	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	424,000.00 रुपये चार लाख चौइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27252	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA	424,000.00 रुपये चार लाख चौइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सात करोड बत्तीस लाख छप्पन हजार दो सौ

1,146,200.00

क्रमिक योग:

73,256,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDP, PCCE DEV. BHARKHAND

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27255	GDDFOR164 MAUN PRAKASH DFO GODDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	62,900.00 रुपये बासठ हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
26	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27257	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	389,900.00 रुपये तीन लाख नवासी हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
27	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27260	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	248,000.00 रुपये दो लाख अड़तालीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सात करोड उनचालीस लाख सत्तावन हजार

700,800.00

क्रमिक योग:

73,957,000.00

(NAND KISHORE SINGH)

RANCHI, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27262	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	211,900.00 रुपये दो लाख ग्यारह हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27264	SDGFOR002 ARVIND KUMAR GUPTA DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	86,200.00 रुपये छियासी हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27266	LDGFOR001 SRI ARVIND KUMAR DIV.FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	172,500.00 रुपये एक लाख बहत्तर हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये सात करोड चवालीस लाख सत्ताइस हजार छः सौ

470,600.00

क्रमिक योग:

74,427,600.00

(NAND KISHORE SINGH)

NAND KISHORE SINGH

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27269	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	424,000.00 रुपये चार लाख चौइस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	27272	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	596,500.00 रुपये पाँच लाख छयानवे हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये सात करोड चौपन लाख अडतालीस हजार एक सौ

क्रमिक योग:

1,020,500.00

75,448,100.00

(NAND KISHORE SINGH)

8/0001 ECCE DEV. JHARKHAND